फोन नम्बर 07423–292090

कार्यालय– प्रधान ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच (म.प्र.)

क्रमांक–2135/लेखा/2022 नीमच,दिनांक 03/08/2022

//निविदा आमंत्रण विज्ञप्ति//

जिला मुख्यालय नीमच के न्यायालय परिसर में कैंटीन के संचालन हेतु निविदा निम्नांकित विहित प्रारूप में निम्न शर्तो के अधीन आमंत्रित की जाती है:–

निविदा की सूचना जारी दिनांक :–	07.08.2022
निविदा प्रपत्र आमंत्रण दिनांक :–	21.08.2022 को 2.00 बजे तक
निविदा प्रपत्र खोलने की दिनांक :–	22.08.2022 को 5.00 बजे तक

इस निविदा में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा जिला रजिस्ट्रार, सिविल कोर्ट, नीमच को प्रथम पक्ष के नाम से सम्बोधित किया गया तथा निविदाकर्ता को द्वितीय पक्ष की हैसियत से सम्बोधित किया गया है।

कैंटीन संचालन के नियम एवं संक्षिप्त शर्ते

1– यह कि इस जिला न्यायालय परिसर नीमच स्थित 45 वर्गमीटर की भूमि पर प्रथम पक्ष की अनुमति से वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 हेतु दिनांक 31.03.2024 तक कैंटीन का संचालन द्वितीय पक्ष द्वारा किया जाना है। जिसकी चतुरसीमा निम्न है –

पूरब दिशा में –	न्यायालय परिसर की सीमा, पश्चात् आम रोड
पश्चिम एवं –	न्यायालय परिसर एवं अधिवक्तागण का शेड
उत्तर दिशा में –	न्यायालय परिसर एवं अधिवक्तागण का शेड
दक्षिण दिशा में –	न्यायालय परिसर सीमा पश्चात् दुकाने एवं आम रोड

2– प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को 01.08.2022 से 31.03.2024 तक 1200–00 (अक्षरे एक हजार दो सौ) रूपये प्रतिमाह किराया निर्धारण अनुसार किराये पर कैंटीन संचालन की अनुमति दी जाना है।

3– निविदाकर्ता को सुरक्षा/अग्रिम राशि 1000/– रूपये (EMD) सहित, जो बैंक ग्यारंटी/एफ.डी.आर./डिमांड ड्राफ्ट् के रूप में होकर तीन माह की वैधता की होकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच के लिये प्रतिदेय होगी,, जो निविदा उपरांत इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी तथा वित्त वर्ष समाप्ति के दो माह पश्चात् द्वितीय पक्ष को देय होगी।

4– कैंटीन के जलकर एवं विद्युत बिल का भुगतान द्वितीय पक्ष द्वारा स्वयं किया जावेगा।

5– द्वितीय पक्ष द्वारा प्रत्येक तीन माह का किराया अनुबंध से प्रत्येक तीसरे माह की 10 तारीख के पूर्व जमा कराया जाकर चालान/एमपीटीसी/ऑनलाईन चालान की प्रति प्रथम पक्ष के कार्यालय में प्रस्तुत की जावेगी।

6– कैंटीन प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक ही खुला रहेगा।

7— न्यायालय में आने वाले पक्षकारों को पीने के पानी की मुफ्त सेवा द्वितीय पक्ष द्वारा दी जावेगी।

8— खाद्य एवं पेय वस्तु उत्तम गुणवत्ता की विक्रय की जावेगी, जिसकी जांच समय—समय पर प्रथम पक्ष द्वारा या अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जावेगी।

9— प्रत्येक खाद्य एवं पेय पदार्थ की मूल्य सूची कैंटीन के बाहर द्वितीय पक्ष द्वारा सहज दृश्य भाग पर चस्पा करना अनिवार्य रहेगा।

10— कैंटीन में किसी प्रकार के मादक पदार्थों का विक्रय नहीं किया जावेगा।

11— कैंटीन एवं उसके आस—पास के स्थल को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

12— कैंटीन में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं होगा।

13— कैंटीन स्थल का परिवर्तन प्रथमः पक्ष की अनुमति के बगैर नहीं किया जावेगा।

14— इस अनुबंध अनुसार शर्तों का उल्लंघन द्वितीय पक्ष द्वारा किये जाने पर प्रथम पक्ष को अनुबंध निरस्त करने का और कैंटीन स्थल को रिक्त करानै का अधिकार होगा।

15— कैंटीन संचालन की अनुमति प्रथम पक्ष द्वारा किसी भी समय 15 दिन पूर्व की सूचना देकर निरस्त की जा सकेगी।

Sd/-
वास्ते—प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
नीमच (म.प्र.)

पृष्ठांकन कमांक—2136—/लेखा/2022 नीमच,दिनांक 03/08/2022

प्रतिलिपि —

1— प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, नीमच की ओर निविदा आमंत्रण विज्ञप्ति जिला न्यायालय नीमच के सदृश्य सूचना पटल पर चस्पा किये जाने हेतु संबंधित को निर्देशन के साथ प्रेषित।

2— श्री दिलीप चिकाने, सिस्टम असिस्टेंट, कम्प्यूटर अनुभाग, नीमच की ओर निविदा आमंत्रण विज्ञप्ति माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु ।

03/8/2022

वास्ते—प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
नीमच (म.प्र.)